संख्या–1299 /XXVIII–5–2010–65/2007

प्रेषक,

टी0के0पन्त
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 04 जनवरी 2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–7प/1/सी0एच0सी0/101/2002/33227 दि0 31.08.09 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–01/चि0–3–2003–03/2003 दिनांक 29 मार्च, 2003 व शासनादेश संख्या–1543/XXVIII–5–2008–65/2007 दि0 30.12.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु संलग्नकानुसार अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 356.94 लाख के सापेक्ष अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में अवशेष रू0 141.80 लाख में से रू0 30,16,000.00 (रू0 तीस लाख सोलह हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा क्षेत्रीय प्रबंधक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण नि0लि0 देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सारणी के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

3– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

4– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायगा।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2

7– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।
8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2010 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।
12– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2009–10 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–आयोजनागत,104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जोयगा
13– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–530(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 /2009 दिनांक 01 जनवरी, 2010 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(टी0के0पन्त)
अपर सचिव

संख्या–1299(1)/xxviii–5–2010–65/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– जिलाधिकारी, टिहरी।
6– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी।
8– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
9– अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
10– क्षेत्रीय प्रबंधक, निर्माण इकाई, उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण नि0लि0 देहरादून।
11– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14– गार्ड फाईल।

(टी0के0पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश सं0–1299/XXVIII-5-2010-65/2007 दिनांक 4 .01.2010का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	अनुमोदित लागत	अबतक अवमुक्त धनराशि	2009–10 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
	1	2	3	4	5	6
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग का भवन निर्माण	टिहरी	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	356.94	215.14	30.16
योग–				356.94	215.14	30.16

(रूपये तीस लाख सोलह हजार मात्र)

(टी0के0पन्त)
अपर सचिव